संख्या : 1633 /XVI–1/13/5(16)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 **देहरादून: दिनांक : 26 जुलाई, 2013**

विषय :– विभिन्न औद्यानिक निवेशों आदि की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति हेतु औद्यानिक कैलेण्डर।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के निवेश यथा फल पौध, सब्जी बीज, मसाला बीज/पौध, पुष्प रोपण सामग्री/बीज, पैकिंग मैटेरियल, कीट व्याधिनाशक रसायन आदि की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति कृषकों/बागवानों को उचित समय पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभागीय पौधालयों, भारतीय कृषि अनसंधान परिषद के संस्थानों/राज्य कृषि/औद्यानिकी विश्वविद्यालयों से तथा जनपदों से प्राप्त मॉग के अनुसार मॉग एवं उपलब्धता के अन्तर की पूर्ति नियमानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निविदा प्रकिया के माध्यम से किए जाने हेतु सम्यक विचारोपरांत **संलग्न** कैलेण्डर के अनुसार समय सारिणी सुनिश्चित की जाती है।

2. कैलेण्डर की समय सारिणी के अनुसार उपरोक्त विभिन्न निवेशों की आपूर्ति की कार्यवाही निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्रों सहित सभी सम्बन्धित कार्यालयों/इकाईयों को निर्देशित करें :–

(1) उपरोक्त निवेशों आदि की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) विभागीय जनपद स्तरीय अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष एवं उद्यान सचल दल केन्द्रों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे उक्त समय सारिणी के अनुसार अपना कार्य समयबद्व रूप से सम्पादित करेंगे।

(3) सम्बन्धित कार्यालय/इकाई के द्वारा अपने स्तर का कार्य पूर्ण करके अगले स्तर पर अग्रसारित करते समय, यदि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार उक्त कार्य की तिथि, कार्य पूर्ण कर अग्रसारित करने की तिथि, में विलम्ब हुआ हो तो विलम्ब का कारण इंगित करते हुए प्रस्ताव का प्रेषण अगले स्तर के लिए किया जाएगा।

(4) उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रस्तावों के प्रेषण एवं कियान्वयन की स्थिति आदि का स्थाई अभिलेख संबंधित कार्यालय/इकाई द्वारा संरक्षित किया जायेगा।

(5) उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही में जिस स्तर पर भी विलम्ब किया जायेगा उसके विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1633/XVI–1/XVI–1/13/5(16)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति, गोबिन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर।
2. कुलपति, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
3. निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून।
6. उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुमॉयूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव